ग्राम पंचायत हरनेरा, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग-एक

1. प्रस्तावना

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत हरनेरा, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति रचना देवी	01-04-22 से 31-03-24

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री परवीन कुमार	01-04-22 से 31-08-22
2.	श्री नैतिक डोगरा	01-09-22 से 31-03-24

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत हरनेरा के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं0	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹ लाखों में}
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	0.37
2.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	19.64
3.	6	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.51**
4.	8	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करना	0.01
5.	9	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.03
6.	10	मानदेय के रूप में पंचायत सदस्यों को अधिक भुगतान करना	0.02
7.	11	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप के राजकीय राजस्व की सम्भावित हानि	0.12
8.	12	क्रय किये सामान राशि का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना	0.58
9.	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.20
10.	14	क्रय की गई सामग्री हेतु आपूर्तिकर्ताओं को नियम प्रावधानों के विपरीत नगद में भुगतान करना	4.20
11.	15	निर्माण कार्य C/O Jeepable road Sharabi ram House to pully and pully to Sharwankumar land के लिए अधिक /अनियमित भुगतान करना	0.09

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत हरनेरा, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03 /2024 तक के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 24-06-2024 से 01-07-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, हरनेरा में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	10/22	02/23
2023-24	01/24	11/23

अस्वीकरण (Disclaimer):- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत हरनेरा, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹5,600**/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 228 दिनांक 01.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत हरनेरा से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत हरनेरा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} **स्व: स्त्रोत:-** ग्राम पंचायत हरनेरा के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	285038.00	74003.00	359041.00	97969.00	261072.00
2023-24	261072.00	64203.00	325275.00	303218.00	22057.00

{ख} **अनुदान:-** ग्राम पंचायत हरनेरा के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	1444284.70	4730610.84	6174895.54	4565713.84	1609181.70
2023-24	1609181.70	2863454.90	4472636.60	2509048.90	1963587.70

{ग} दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	General/5TH FC/SDP	KCCB SHAPHUR	20088008588	371977.00
2.	IWDP	KCCB SHAPHUR	20088008678	18637.00
3.	14TH FC	KCCB SHAPHUR	50056346577	764.70
4.	IAY	KCCB SHAPHUR	50056346351	1295.00
5.	15TH FC	CANARA BANK SHAHPUR	6616101001117	1628061.00
6.	VKVNY	CANARA BANK SHAHPUR	6616101001116	1231.00
7.	हस्तगत रोकड़			600.00
	कुल योग			**2022565.70**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-24 को बैंक अनुसार अन्त शेष	2022565.70
दिनांक 31-03-24 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	1985644.70
अंतर	**36921.00**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹0.37 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :-

ANNUAL REPORT

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान नहीं किया गया था, परिणाम रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31-03-24 को **₹36921.00** की राशि का अन्तर पाया गया । पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 320(1) दिनांक 01.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत हरनेरा से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर -दिनांक 01.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 निर्देशानुसार अलग – 2 स्कीमों के लिए अलग – 2 बैंक खाते न खोलना :-

निदेशक पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अलग – 2 स्कीमों के लिये अलग – 2 खाते खोले जाने अपेक्षित हैं।

पंचायत द्वारा खाता "क", "ख" के अंतर्गत General/5thFC/SDP स्कीमों के लिए हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लंघन करते हुये एवं पूर्वोक्त पत्रांक में दिए गए निर्देशों के विरुद्ध General/5thFC/SDP स्कीमों के लिए एक ही बैंक खाता, कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक शाहपुर में खाता संख्या 20088008588 के अंतर्गत खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज के निर्देशों की अवेहलना हुई अपितु खातावार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान, ब्याज व भुगतान /व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी।

अत: इस अनियमितता का वस्तुस्थिति अनुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार तुरंत प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

4.4 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय

विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.5 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस – किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है तथा इन कार्यों को पूरा किया जा चूका है अथवा नहीं।

अनुदान/शीर्ष	वाउचर संख्या /दिनांक	कार्य का नाम	राशि
SDP	P15/04.11.2023	Re construction protection wall near krishan chand, surat singh and Thakur singh	94000
SDP	P16/04.11.2023	Re construction protection wall nearRanjeetsingh ,desh raj etc	94000
15TH FC	P10/07.11.2023	निर्माण वावडी गावं भरियाल	17240

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 320(8) दिनांक 01.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत हरनेरा से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर -दिनांक 01.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. अनुदान राशि ₹19.64 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

ANNUAL REPORT

पंचायत द्वारा अनुदानों से सबंधित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-24 तक अनुदान राशि ₹1963587.70 उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 320(2) दिनांक 01.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत हरनेरा से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर -दिनांक 01.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: शेष अनुदानों के सम्बन्ध में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके, उक्त राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतू व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।

6 गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.51 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

अंकेक्षण में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹51050 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी, जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" व नीचे तालिका में दिया गया है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	587	50	60400	29350	89750	10000	79750
2023-24	600	50	79750	30000	109750	58700	51050

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके।

गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 320(3) दिनांक 01.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर - दिनांक 01.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

7. दोहरी उपस्थिति के कारण अनियमित भुगतान करने बारे :-

निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या पी. सी. एच .(1) 5/2009-II-Instructions-67441-532 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार यदि पंचायत सदस्य द्वारा एक ही दिनांक को दो जगह हाजरी लगाने का प्रकरण सामने आता है तो ऐसे में वार्ड सदस्य के विरुद्ध धनराशी की वसूली सहित निलबंन तथा पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है|

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सदस्य द्वारा ग्राम पंचायत वैठक व मनरेगा मस्टरोल में एक ही दिन दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित किया गया था जोकि उक्त पत्र के दिशा निर्देशों की स्पष्ट उलंघना है | उपरोक्त अनियमिता का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	मस्ट्रोल संख्या/अवधि	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल में उपस्थिति की तिथि	पंचायत बैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि
1.	जय चंद	.....2417... 19.06.2023 से 30.06.2023	C/O of jeepale road Ashok kumar ke ghar tak	20.06.2023	20.06.2023	500	224

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 320(4) दिनांक 01.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर - दिनांक 01.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त पत्र के निर्देशों की अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाये व उपरोक्त अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

8. विवाह पंजीकरण शुल्क ₹1200 की वसूली न करने बारे

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु 200 (सामान्य) व आई . आर. डी. पी./बी.पीएल.के लिए 25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनों के भीतर 400 (सामान्य)से व 50 आई . आर. डी. पी./बी.पीएल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित आवेदकों का विवाह पंजीकरण किया गया था | परन्तु

उक्त अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित आवेदकों से विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली नहीं की गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार से है:-

क्रम संख्या	विवाह पंजीकरण रजिस्टर के अनुसार पेज संख्या	आवेदक का नाम	विवाह की तिथि	रजिस्ट्रेशन की तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)
1.	76	श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री लेख राज	14.04.2022	26.04.2022	200
2.	77	श्री स्वरूप चंद सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह	21.04.2022	19.05.2022	200
3.	77	श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री जगदीश चंद	10.05.2022	25.05.2022	200
4.	78	श्री सतीष कुमार पुत्र श्री कुलदीप सिंह	04.05.2022	25.05.2022	200
5.	78	श्री राय सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह	26.12.2017	15.06.2022	400
कुल योग					**1200/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 320(6) दिनांक 01.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर - दिनांक 01.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शुल्क की वसूली रसीद संख्या 63006 दिनांक 01.07.2024 द्वारा कर ली गई है परन्तु वसूली से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण वसूली की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी।

अतः कृत वसूली से सम्बन्धित अभिलेख सहित कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.03 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे:-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि (₹)
1	2022-23	1600
2	2023-24	1400
कुल योग		**3000/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 320(5) दिनांक 01.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर -दिनांक 01.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: विवाह पंजीकरण शुल्क राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

ANNUAL REPORT

10 मानदेय के रूप में पंचायत सदस्यों को ₹1750/- का अधिक भुगतान करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज {वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 62{2} के अर्न्तगत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं होता है तो उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पांचवे वित्त आयोग की रोकड़ बही के वाउचर संख्या P/5 दिनांक 01.11.2023 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय का भुगतान अवधि 01.10.2020 से 31.01.2021 के लिए किया गया था परन्तु इस भुगतान किये गए मानदेय की अवधि के दौरान माह अक्टूबर 2020 में केवल एक ही ग्राम पंचायत की बैठक हुई थी जिसके फलस्वरूप पंचायत पदाधिकारियों को एक ग्राम पंचायत बैठक **का** मानदेय के रूप में अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	वार्ड पंच का नाम	पंचायत वैठकों की अवधि	भुगतान की गई राशि (₹)	पंचायत बैठकों की कुल संख्या	वास्तविक भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान
1.	श्रीमति वन्दना देवी	01.10.2020 से 31.01.2021	2000 (8X250)	7	1750 (7X250)	250
2.	श्रीमति मिनाक्षी देवी	01.10.2020 से 31.01.2021	2000 (8X250)	7	1750 (7X250)	250
3.	श्री कपिल पटियाल	01.10.2020 से 31.01.2021	2000 (8X250)	7	1750 (7X250)	250
4.	श्री रणजीत सिंह	01.10.2020 से 31.01.2021	2000 (8X250)	7	1750 (7X250)	250
5.	श्रीमति सोनू देवी	01.10.2020 से 31.01.2021	2000 (8X250)	7	1750 (7X250)	250

6.	श्री करण सिंह	01.10.2020 से 31.01.2021	2000 (8X250)	7	1750 (7X250)	250
7.	श्रीमति वीणा देवी	01.10.2020 से 31.01.2021	2000 (8X250)	7	1750 (7X250)	250
			कुल योग			1750/-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 320(7) दिनांक 01.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर - दिनांक 01.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप राशि ₹0.12 लाख के राजकीय राजस्व की सम्भावित हानि:-

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्प्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिबार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत

नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार **₹11580**/- का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है :-

नाम	मात्रा (cum)	फैक्टर	कुल मात्रा	दर (प्रति टन)	राशि
रेत	23.92	1.62	38.75	80	3100
बजरी	50.69	1.52	77.05	80	6164
कुल योग					9264
पेनल्टी 25%					2316
कुल योग					**11580**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 321(1) दिनांक 01.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर - दिनांक 01.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण **रॉयल्टी** की गणना नहीं की जा सकी। प्रस्तुत उतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः **₹11580/-** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे

भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

12. क्रय किये गये सामान राशि ₹0.58 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना :-

ANNUAL REPORT

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये सामान का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27, व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान की गई खरीद के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹58030/-के स्टॉक को क्रय उपरांत स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नही किया गया था :-

क्रम संख्या	बिल/वा० संख्या, वर्ष/माह	भुगतान की तिथि	फर्म का नाम	विवरण	मात्रा	बिल की राशि
1.	**460**, दिनांक 31.01.23	25.02.2023	मै. संजीत कुमार स्पलायरस	रेत बजरी	28.31cubm 15 cubm	50667
2.	**463**, दिनांक 31.01.23	25.02.2023	मै. संजीत कुमार स्पलायरस	रेत बजरी	1 cubm 4.90 cubm	7363
कुल योग						**58030/-**

फलस्वरूप किसी भी स्तर पर सामग्री के रिसन (leakage) एवं दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 321(4) दिनांक 01.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर -दिनांक 01.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 .औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.20 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

ANNUAL REPORT

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है ।

व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹19500/-** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्रम संख्या	वा० संख्या, वर्ष/माह	शीर्ष	फर्म का नाम	विवरण	राशि
1.	**P10**, दिनांक 7.11.23	(15^{TH} FC)	मै. कार्तिकि ट्रेडर्स एंड हार्डवेयर स्टोर	TMT BAR (50 KG)	3500
2.	**P12**, दिनांक 03.1123	सभा निधि	मै. ब्रिजेश्वरी आर्ट्स	बोर्ड (आजादी का अमृत महोत्सव वीरों के नाम)	6800
3.	P14, दिनांक 03.1123	सभा निधि	मै.बहल इंटरप्राइजेज	रेलिंग (1.25 mm Round pipe, 25x5 Patti, 10mm SQ)	9200
		कुल योग			**19500/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 321(5) दिनांक 01.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया

गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर -दिनांक 01.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

ग्राम पंचायत द्वारा निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही कार्यों को करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाये बिना कृत व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में कार्यों को करने से पूर्व आवश्यक निर्धारित औपचारिकताएं विधिवत पूर्ण करने के उपरान्त ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए व तदानुसार सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14. क्रय की गई सामग्री हेतु आपूर्तिकर्ताओं को नियम प्रावधानों के विपरीत नगद में भुगतान करने बारे :-

ANNUAL REPORT

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियमक 10(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री के क्रय के लिए आपूर्तिकर्ता को किए जाने वाले **संदाय/भुगतान केवल क्रास-चैक द्वारा ही किए जाएँगे|**

अंकेक्षण के दौरान पंचायत के अभिलेखों के अंकेक्षण पर पाया गया कि निम्नलिखित अदायगियां नियम प्रावधानों के विपरीत नगद की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/दिनांक	क्रय की गई सामग्री	भुगतान की गई राशि
1.	2/25.04.2022	Salary paid to chowkidar	5600
2.	7/28.05.2022	Stationery	2800
3.	8/28.05.2022	Stationery	1200
4.	P/30/23.01.2024	Office Expenses	1450
5.	P/31/09.03.2024	Office Expenses	31000
	कुल योग		42050/-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 321(6) दिनांक 01.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर -दिनांक 01.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वर्णित नियम प्रावधानों के विपरीत नगद भुगतान करने का तथ्य पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनश्चित किया जाये तथा भविष्य में की जाने वाली अदायगियां उपरोक्त नियम के अनुसार क्रास-चैक द्वारा ही की जाएँ तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

15 निर्माण कार्य C/O Jeepable road Sharabi ram House to pully and pully to Sharwankumar land के लिए ₹8635/- के अधिक भुगतान बारे

ANNUAL REPORT

तकनीकी सहायक द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य C/O Jeepable road Sharabi ram House to pully and pully to Sharwankumar land के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 28894 पृष्ट संख्या 09-10, में निर्माण सामग्री (सीमेंट, बजरी) का निष्पादन निर्धारित मापदंड़ो के अनुसार कम दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिए निर्माण सामग्री (बजरी, सीमेंट) का क्रय बिल के अनुसार व स्टॉक रजिस्टर के अनुसार अधिक किया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	सामग्री का नाम	बिल संख्या / स्टॉक रजिस्टर पेज न०	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्य पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	रेट	राशि
1	सीमेंट	स्टॉक रजिस्टर पेज न० 16,	203 bag	197 bag	6 bag	400	2400

		18					
2	बजरी	बिल संख्या 460,461,463	2073 CFT (58.70 cubm)	1920 CFT (54.38 cubm)	153 CFT	35	5355
3	रेत	बिल संख्या 460,461,463	1035 CFT (29.31 cubm)	1013 CFT (28.70 cubm)	22 CFT	40	880
			कुल योग				**8635/-**

निर्धारित मापदंडो के अनुसार खपत विवरणी :-

ITEM NAME	QTY	SAND FACTOR	QTY of Sand	AGG FACTOR	QTY of Agg.	CEMENT FACTOR	QTY of Cement
P/L C.C 1:5:10	40.08 CUBM	.47	18.83	.89	35.67	2.60	104.20
P/L C.C 1:3:6	21.02 CUBM	.47	9.87	.89	18.71	4.40	92.48
TOTAL QTY.			**28.70 CUBM X 35.31 = 1013 CFT**		**54.38 CUBM X 35.31 =1920 CFT**		**196.68 say 197 bag**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 321(7) दिनांक 01.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर - दिनांक 01.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अत: उक्त कार्यों हेतु क्रय निर्माण सामग्री की अपेक्षाकम सामान के प्रयोग/लेखांकन के फलस्वरूप अधिक भुगतान/अनियमित व्यय को नियमानुसार पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित व्यय जैसे ढुलाई आदि सहित उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में

ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की नियमानुसार नमूना जाँच एवं सत्यापना उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा करनी /करवानी सुनिश्चित की जाये।

16. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान बिलों के भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है :-

क्र° स°	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि
1.	2022-23	02/23	986698.20
2.	2023-24	11/23	564808.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 321(2) दिनांक 01.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर -दिनांक 01.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

17. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा"।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 02/23 व 11/23 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि माह 02/23 व 11/23 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरीत है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 321(3) दिनांक 01.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर –दिनांक 01.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

18 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में अपूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(14)
3	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना	25 व 26	72(1) (ए,बी)

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 227(12) दिनांक 01.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर - दिनांक 01.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

19 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

20. लघु-आपति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

21. निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

28 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

4683– 4687 का0/प्रति0

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)424/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्या कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत हरनेरा, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

28 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति0

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT HARNERA BLOCK RAIT DISTRICT INDORA PINCODE 176206

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	285038	74003.00	359041	97969.00	261072.00

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 285038.00

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT HARNERA BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA PINCODE 176206

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2023-24	261072.00	64203.00	325275	303218.00	22057

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 261072.00

Pardhan
Gram Panchayat Harnera
Dev. Block Rait, Kangra (H

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हरनेरा
वि.ख.रैत.जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

J.A

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP HARNERA BLOCK RAIT FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	721.7	20.00	741.70	0.00	741.70
2	MGNREGA	0	2894239.84	2894239.84	2894239.84	0.00
3	IWDP	17585	502.00	18087.00	0.00	18087.00
4	5TH FC	0	318244.00	318244.00	291300	26944.00
5	NRHM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	RGSA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	1161	8.00	1169.00	0	1169.00
9	SDRF	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	IAY	1220	36.00	1256.00	0.00	1256.00
11	TSC	0	0.00	0.00	0.00	0.00
12	PMAGY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	0	259664.00	259664.00	163684.00	95980.00
15	MMGPY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1423597	1257897.00	2681494.00	1216490.00	1465004.00
	TOTAL	1444284.70	4730610.84	6174895.54	4565713.84	1609181.70

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP HARNERA BLOCK RAIT FOR THE YEAR 2023-24

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	741.70	23.00	764.70	0.00	764.70
2	MGNREGA	0.00	973339.90	973339.90	973339.90	0.00
3	IWDP	18087.00	550.00	18637.00	0.00	18637.00
4	5TH FC	26944.00	442316	469260.00	397092	72168.00
5	NRHM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0.00	0	0.00	0	0.00
7	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	1169.00	62	1231.00	0	1231.00
9	SDRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	IAY	1256.00	39.00	1295.00	0.00	1295.00
11	TSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	PMAGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	95980.00	754680.00	850660.00	609229.00	241431.00
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1465004.00	692445.00	2157449.00	529388.00	1628061.00
	TOTAL	1609181.70	2863454.90	4472636.60	2509048.90	1963587.70

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF GRANT IN AID AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 1609181.70

Pardhan
Gram Panchayat Harnera
Dev. Block Rait, Kangra (H

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हरनेरा
वि.ख.रैत,जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

BANK DETAIL OF GP HARNERA BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA				
CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-22				
S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC/SDP	KCCB SHAPHUR	20088008588	284315
			20088008678	17585
2	IWDP	KCCB SHAPHUR	50056346577	721.7
3	14TH FC	KCCB SHAPHUR	50056346351	1220
4	IAY	KCCB SHAPHUR	6616101001117	1391159
5	15TH FC	CANARA BANK SHAHPUR	6616101001116	1161
6	VKVNY	CANARA BANK SHAHPUR		723
CASH IN HAND				1696884.70
TOTAL				

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23				
S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC/SDP	KCCB SHAPHUR	20088008588	419656.00
2	IWDP	KCCB SHAPHUR	20088008678	18087.00
3	14TH FC	KCCB SHAPHUR	50056346577	741.70
4	IAY	KCCB SHAPHUR	50056346351	1256.00
5	15TH FC	CANARA BANK SHAHPUR	6616101001117	1465004.00
6	VKVNY	CANARA BANK SHAHPUR	6616101001116	1196.00
CASH IN HAND				123.00
TOTAL				1906063.70

	BANK DETAIL OF GP HARNERA BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA			
	CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-24			
S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC/SDP	KCCB SHAPHUR	20088008588	371977.00
2	IWDP	KCCB SHAPHUR	20088008678	18637.00
3	14TH FC	KCCB SHAPHUR	50056346577	764.70
4	IAY	KCCB SHAPHUR	50056346351	1295.00
5	15TH FC	CANARA BANK SHAHPUR	6616101001117	1628061.00
6	VKVNY	CANARA BANK SHAHPUR	6616101001116	1231.00
CASH IN HAND				600.00
TOTAL				2022565.70

Pardhan
Gram Panchayat Harnera
Dev. Block Rait, Kangra (H

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हरनेरा
वि.ख.रैत.जिला कांगड़ा

J.A

27-28

परिशिष्ट - ख पत्र - 6

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT HARNERA BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	587	50	60400	29350	89750	10000	79750

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT HARNERA BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2023-24	600	50	79750	30000	109750	58700	51050

Pardhan
Gram Panchayat Harnera
Dev. Block Rait, Kangra (H

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हरनेरा
वि.ख.रैत.जिला कांगड़ा

J.A

28

परिशिष्ट "ग" पैरा-11 के संदर्भ में

ग्राम पंचायत हरनेरा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24

अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारको को उपलब्ध करवाए गए रोजगार दिवसों का विवरण निम्नलिखित में दर्शाया गया है!

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजगार माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले कार्य दिवस	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
2022-23	94	57	37	580	171	105	5687	9	19928	14241
2023-24	204	31	173	586	105	105	4033	8	48968	44935

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हरनेरा
वि.ख.रैत,जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

GRS
Harnera

29